न्यायालय–विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. भोपाल
(पीठासीन अधिकारी : डॉ. मुकेश मलिक)

Registration No-	BA 2540/2026
Filing No.-	B.A. 30657/2026
CNR No.-	**MP0401-036955-2026**
Crime No-	**367/2026**
P.S.-	**Ayodhya Nagar**

हर्ष सोनी पिता हरगोविंद सोनी, आयु 26 वर्ष
निवासी म.न. 196, छत्रपति नगर अयोध्या बायपास रोड, भोपाल म.प्र. ——— आरोपी

विरूद्व

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र,
अयोध्या नगर, भोपाल ———अनावेदक

प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं.

1	प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक/धारा	367/2026, धारा 8/22 एन.डी.पी.एस. एक्ट
2	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने का दिनांक/थाना	28.07.2026– अयोध्या नगर, भोपाल
3	गिरफ्तारी दिनांक	27.07.2026
4	जमानत आवेदन पत्र अनुसंधान के दौरान प्रस्तुत हुआ है अथवा चालान प्रस्तुत होने के बाद	अनुसंधान के दौरान

केस डायरी प्रतिवेदन अनुसार अभियुक्त का पूर्व आपराधिक रिकार्ड

क्र.	अप.क्र	धारा	थाना
निरंक			

आवेदक हर्ष सोनी द्वारा श्री आशीष बरगले अधिवक्ता।
राज्य द्वारा श्री विक्रम सिंह विशेष लोक अभियोजक।

(आदेश दिनांक 07.08.2026)

अभियुक्त हर्ष सोनी की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भा. ना.सु.सं. का इस आदेश के द्वारा निराकरण किया जा रहा है।

1. आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भा.ना. सु.सं.संक्षेप्त इस प्रकार है कि आवेदक का यह प्रथम नियमित जमानत आवेदन है। आवेदक इन्जीनियरिंग का होनहार छात्र है। आवेदक प्राईवेट नोकरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। आवेदक से जप्त मादक पदार्थ वाणिज्यीक मात्रा का नहीं है। विवेचना के दौरान धारा 52(1) एनडीपीएस का पालन नहीं किया गया है। जप्ती के दौरान मादक पदार्थ को विधिअनुसार चेक नहीं किया गया है। आवेदक एक नवयुवक है, जिसके अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पडेगा। आवेदक भोपाल का स्थाई निवासी है उसके भागने या फरार होने की संभावना नहीं है। जमानत उपरांत आवेदक न्यायालय द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तो का पालन करेगा। अतः आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया है।
2. जमानत आवेदन के समर्थन में आवेदक की ओर से हरगोविंद सोनी पिता शिवनारायण सोनी, आयु 52 वर्ष, निवासी म.न. 196 छत्रपति नगर अयोध्या बायपास रोड भोपाल म.प्र द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. केस डायरी व पुलिस प्रतिवेदन, अनुसार थाना अयोध्या नगर भोपाल के उपनिरीक्षक सुदील कुमार देशमुख को दिनांक 27.07.2026 को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि कार में सवार दो लडके एम.डी बेचने के लिए आये है, जिसकी तस्दीक हेतु पुलिस बल सहित मुखबिर द्वारा बताए स्थान मिनाल गेट नंबर 4 के पासबनी पार्किग में पहुचकर देखा तो पार्किग में दो लडके सफेद रंग की मारूती इगनिक कार में दिखे जिन्हे हमराह स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकडा व नाम पता पूछने पर 01 **हर्ष सोनी पिता हरगोविंद सोनी** 02. दीपक ठाकुर पिता राजेश ठाकुर होना बताया। बाद संदेही की विधिअनुसार तलाशी ली गई जिसमें संदेही हर्ष सोनी के पेन्ट की आगे वाली जेब से एक छोटी पारदर्शी जिप वाली पालीथीन में हल्के सुनहरे रंग का दरदरा सा मादक पदार्थ रखा मिला, जिसे खोलकर देखा और पूछा गया, तो उसने मादक पदार्थ एम.डी होना बताया। बाद संदेही दीपक की तलशी लेने पर उसके हाफ पेंट की आगे वाली जेब से एक छोटी पारदर्शी जिप वाली पॉलीथीन में सफेद रंग का दरदरा मादक पदार्थ रखा मिला जिसे खोलकर देखा तो व पूछा तो मादक पदार्थ एम.डी होना बताया। संदेही हर्ष सोनी से मिले मादक पदार्थ को विधिअनुसार तौलने पर उसका कुल

वजन 1 ग्राम 44 मिलीग्राम होना पाया गया व संदेही दीपक ठाकुर से मिले मादक पदार्थ एम.डी का कुल वजन 1 ग्राम 49 मिलीग्राम होना पाया गया। उक्त मादक पदार्थ एमडी को जप्त कर आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया जाकर तथा अन्य कार्यवाही उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 367/26 अंतर्गत धारा 8, 22 एनडीपीएस एक्ट थाना बागसेवनिया में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया है कि आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया हैं। अभियोजन द्वारा धारा 50 एनडीपीएस की पालना नहीं की गई है। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त किया जाये।
5. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन पत्र का मौखिक रूप से गम्भीर विरोध करते हुए यह तर्क किया गया है कि आवेदक के आधिपत्य से मादक पदार्थ की जप्ती की गयी है।
6. उभय पक्ष के तर्को के परिप्रेक्ष्य में केस डायरी, प्रतिवेदन एवं रिमांड पत्रावली का अवलोकन किया गया।
7. केस डायरी एवं प्रतिवेदन के अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रकट है की आवेदक/आरोपी **हर्ष सोनी एवं उसका सह अभियुक्त सफेद रंग की मारूती इगनिस कार में बैठै हुये थे, जिसमें आवेदक हर्ष सोनी के** आधिपत्य से **1.44 ग्राम एम.डी** तथा सह अभियुक्त से 1.49 ग्राम एम.डी. पाउडर, **इस प्रकार उनके संयुक्त आधिपत्य से कुल 2.93 ग्राम एमडी** जप्त किया गया है। वर्तमान में युवाओं को नशा करने हेतु नशीले पदार्थ उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे नशीले पदार्थो का व्यसन का युवा एवं समाज को आदि बनाया जा रहा है, जो समाज के लिए अत्यंत गंभीर है। प्रकरण विवेचनाधीन है। जमानत का लाभ दिये जाने पर अपराध की पुनरावृति करने एवं अनुपस्थित हो जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
8. अतः उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त **हर्ष सोनी** का **प्रथम जमानत आवेदन** अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस **निरस्त** किया जाता है।
9. आदेश की प्रति सहित संबंधित थाने की केस डायरी वापिस भेजी जावे।
10. आदेश की एक प्रति आवेदक/अभियुक्त को निःशुल्क प्रदाय की जावे।

(डॉ मुकेश मलिक)
विशेष न्यायाधीश,एन0डी0पी0एस0एक्ट
भोपाल म.प्र.

MUKESH MALIK

Digitally signed by MUKESH MALIK
Date: 2026.08.07 18:49:19 +0530